संख्या-44 /2026/I/1504488/2026 /002-71-4002-099-6-2026

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 27.10.2026**

विषयः-अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-3802/लेखा-बजट/अ0बि0वा0चि0वि0/2026 दिनांक-14.10.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ हेतु मानक मद-31 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनरशि के सापेक्ष रू0 300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0387-मा0 अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0 मानक मद-31 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनरशि रू० 800.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में **रू० 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

4. धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050387 मा0 अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्तख (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थावनीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा् शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।

9. नोडल अधिकारी, बजट, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।